60/2018

संख्या-635(1)/सोलह-3-2018-15(195)/2016

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 20 अप्रैल, 2018

विषयः-प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग की जनहित गारण्टी से संबंधित सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जनमानस को किफायती पारदर्शी एवं सहज-सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-698/91-2017, दिनांक 27.10.2017 द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अधीन प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त 13 सेवायें प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय/प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं प्रदेश में स्थापित पालीटेक्निक संस्थान मैनुअल/आनलाइन रूप में प्रदान की जा रही हैं।

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचरोपरांत प्राविधिक शिक्षा विभाग की निम्न सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. पालीटेक्निक संस्थाओं के छात्रों हेतु स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना
2. प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना।
3. काशनमनी वापस किया जाना।
4. चरित्र प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना।
5. अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये संदत्त पेंशन/उपादान पर विनिष्चय।
6. अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान पर विनिश्चय ।
7. पालीटेक्निक संस्थाओं के छात्रों के लिये उपबन्धित अंक-पत्र पर विनिश्चय ।

8. पालीटेक्निक संस्थाओं के छात्रों के लिये डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना, जिन्होंने उत्तीर्ण परिणाम के साथ शिक्षा की हो।
9. पालीटेक्निक छात्रों के स्कूटनी के परिणाम की घोषणा।
10. पुन: परीक्षा (Back paper) के परिणाम की घोषणा।
11. छात्र-छात्राओं के अंक पत्र की त्रुटियों की शुद्धता।
12. प्रोविजनल डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करना।
13. अनुकृति अंक-पत्र प्रदान करना।

3. प्राविधिक शिक्षा विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों ई-सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिये यूजर चार्ज आई.टी. विभाग के शासनादेशानुसार लिये जायेंगे।

4. अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है, तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे, किन्तु आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा ई-सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरांत केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लागिन करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी संबंधित सेवा के लिये प्रस्तर-3 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।

5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त डिलीवरी प्वाइन्ट्स यथा-जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथा-इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी हैं।

6. प्राविधिक शिक्षा विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीगेट करने, एन.आई.सी./एस.ई.एम.टी. की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किये जाने जाने हेतु श्री नीरज मौर्या, सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 कानपुर मोबाइल नम्बर 8004916247 ई-मेल-neerajmaurya2000@gmail.com को विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर द्वारा पायलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि गो-लाईव के उपरांत सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

7. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये आवेदन विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा जिस तरह से वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे हैं।

8. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां शीर्ष-प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे यह सुनिश्चित करे ले समस्त डिलीवरी प्वाइन्ट्स यथा-जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथा-इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी हैं।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. राज्य सम्न्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ उत्तर प्रदेश
5. एस0आई0ओ0योजना भवन, लखनऊ।
6. हेड एस0ई0एम0टी0, उत्तर प्रदेश।
7. क्षेत्रीय कार्यालय एन0आई0सी0 लखनऊ।
8. लोक प्रबन्धन अनुभाग-2
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरजन)

विशेष सचिव।